सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र**
**विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE**
**Extraordinary**

**साधिकार प्रकाशित**

**Published by Authority**

श्रावण 8, शुक्रवार, शाके 1943–जुलाई 30, 2021
*Sravana 8, Friday, Saka 1943- July 30, 2021*

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

**चिकित्सा, स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, जुलाई 12, 2021**

**एस.ओ.576 :-**मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान मानव रोगक्षम अल्पताविषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम”‘ से मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है;

(ख) ‘‘प्ररूप”‘ से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) “ओमबड्समैन” से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 के अधीन, यथा स्थिति, पदाभिहित कोई व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है; और

(घ) ‘‘राज्य सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. एचआईवी/एड्स की नैदानिक सुविधाओं के लिए उपाय, प्रति-विषाणु सम्बन्धी चिकित्सा और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन.-राज्य सरकार और राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सम्पूर्ण राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में एचआईवी/एड्स (पीएलएचआईवी) से ग्रस्त समस्त लोगों को एचआईवी/एड्स से संबंधित नैदानिक सेवाएं, प्रति-विषाणु संबंधी चिकित्सा, और अवसरवादीय संक्रमण प्रबंधन निःशुल्क उपलब्ध करवायेंगे। केन्द्र सरकार द्वारा, अधिनियम के अधीन समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समस्त सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रति-विषाणु (एआरवी) औषधि, निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

4. ओमबड्समैन की अर्हता और अनुभव.- (1) राज्य सरकार ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन ओमबड्समैन को प्रदत्त किये जायें, एक या अधिक ओमबड्समैन को पदाभिहित करेगी। ओमबड्समैन का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

(2) राज्य सरकार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निदेशक से अनिम्न रैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी को ओमबड्समैन के रूप पदाभिहित करेगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा ओमबड्समैन को उसके पदाभिधान की तारीख से तीस दिवस के भीतर क्षमता निर्माण और जानकारी उपलब्ध करवायी जायेगी।

5. ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों की जांच करने की रीति.-(1) अधिनियम के अधीन की गई शिकायतों की जांच करते समय ओमबड्समैन, निष्पक्ष एवम् स्वतंत्र रीति से कार्य करेगा।

(2) शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से लिये गए संज्ञान पर, ओमबड्समैन ऐसी रीति से जांच करेगा जैसी वह ठीक समझे।

(3) जांच में प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों का पालन किया जायेगा और शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा और उसकी राय पर विचार किया जायेगा।

(4) ओमबड्समैन, जांच का संचालन मित्रवत रीति से करेगा और ऐसे विरोधात्मक या अभियोगात्मक शब्द या शब्दों, जो कि शिकायतकर्ता की गरिमा या आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों, का उपयोग नहीं करेगा।

(5) अधिनियम के अधीन शिकायतों की जांच करते समय, ओमबड्समैन संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और समुचित मामलों में शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लिया जा सकेगाः

परन्तु ओमबड्समैन के समक्ष जांच में कोई भी प्रतिपरीक्षा अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

(6) ओमबड्समैन न्याय के हित में, संरक्षित व्यक्तियों और एचआईवी के लिए अतिसंवेदनशील व्यक्तियों, और एचआईवी और एड्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों, लोक-स्वास्थ्य या स्वास्थ्य परिदान प्रणालियों को सम्मिलित करते हुए विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा।

(7) ओमबड्समैन के पास प्रवेश, शल्य क्रियाओं या उपचार के लिए निदेश को सम्मिलित करते हुए चिकित्सीय आपातकाल के मामलों में अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(8) ओमबड्समैन, शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।

(9) ओमबड्समैन, शिकायत के पक्षकारों को, ओमबड्समैन के आदेश के न्यायिक पुनर्विलोकन प्राप्त करने के उनके अधिकार के बारे में उन्हें सूचित करेगा।

6. ओमबड्समैन द्वारा अभिलेखों के संधारण की रीति.-(1) ओमबड्समैन,-

(क) शिकायत की प्राप्ति पर, उसे क्रमिक यूनीक शिकायत क्रमांक समनुदेशित कर, मात्र इसी प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में भौतिक या कम्प्यूटरीकृत रूप में तुरन्त अभिलिखित करेगा;

(ख) शिकायत की प्राप्ति पर, शिकायतकर्ता को जहां वह उपलब्ध हो, यूनीक शिकायत संख्यांक को एसएमएस या ई-मेल द्वारा भेजकर अभिस्वीकृति देगा;

(ग) शिकायत का समय और शिकायत पर की गयी कार्रवाई को रजिस्टर में अभिलिखित करेगा; और

(घ) शिकायतों के रजिस्टर को ऐसी रीति में संधारित करेगा जो आँकड़ो की गोपनीयता को सुनिश्चित करे और अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा संरक्षण उपायों की भी अनुपालना करेगा।

(2) ओमबड्समैन, लंबित मामलों के पुनर्विलोकन के लिए मामलों के निपटान की और मामलों के लंबित होने की एक त्रैमासिक रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये।

7. ओमबड्समैन से शिकायत करने की रीति.-(1) कोई व्यक्ति, उस ओमबड्समैन को, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर अभिकथित अतिक्रमण हुआ है, उस तारीख से, जिसको शिकायत कर रहे व्यक्ति को अधिनियम के अभिकथित अतिक्रमण की जानकारी हुई हो, तीन मास के भीतर शिकायत कर सकेगाः

परन्तु ओमबड्समैन, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि शिकायतकर्ता विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिस्थितिवश शिकायत करने से निवारित रहा है तो वह, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, शिकायत करने की समय सीमा को तीन मास की और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) ओमबड्समैन को सभी शिकायतें लिखित रूप से प्ररूप में की जायेंगी:

परंतु जहां शिकायतकर्ता लिखित में शिकायत नहीं कर सकता है वहां ओमबड्समैन शिकायतकर्ता को लिखित में शिकायत करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता उपलब्ध करायेगा।

(3) चिकित्सीय आपातकाल के मामलों में, ओमबड्समैन या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, अभिकथित अतिक्रमण के स्थान पर या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर जहां वह शिकायत के लिखित दस्तावेज तैयार कर सके, शिकायतकर्ता से मिल सकेगा।

(4) ओमबड्समैन को शिकायतें व्यक्तिशः, डाक द्वारा, दूरभाष पर या ओमबड्समैन की वेबसाइट पर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप के माध्यम से की जा सकेंगी।

(5) ओमबड्समैन शिकायत का समय और शिकायत पर की गयी कार्रवाई को रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(6) राज्य सरकार, ओमबड्समैन के पदाभिधान के सात दिवस के भीतर ओमबड्समैन की वेबसाइट सृजित करेगी।

8. राज्य सरकार द्वारा ओमबड्समैन के बारे में जानकारी का प्रसार.-(1) ओमबड्समैन के पदाभिहित होने के तीस दिवस के भीतर, राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी, ओमबड्समैन के क्षेत्राधिकार, भूमिका, कृत्य और प्रक्रिया तथा ओमबड्समैन को शिकायत करने की रीति को सम्मिलित करते हुए ओमबड्समैन के कार्यालय के बारे में जानकारी का प्रसार करेगा।

(2) ऐसा प्रसार विशिष्टतः, संरक्षित व्यक्तियों, स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं, विधिक सेवा सहायता प्राधिकरणों और सिविल प्राधिकारियों की जानकारी में अभिवृद्धि के जिम्मे किया जायेगा।

9. छद्मनाम को अभिलिखित करने और विधिक कार्यवाहियों में पहचान को छिपाने का उपबंध करने की रीति.- (1) जहां कोई न्यायालय किसी संरक्षित व्यक्ति या उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में किसी विधिक कार्यवाही में निदेश देता है कि न्याय के हित में कार्यवाही या उसका कोई भाग ऐसे संरक्षित व्यक्ति की पहचान छिपाकर संचालित की जाये वहां न्यायालय कार्यवाहियों में अंतर्ग्रस्त समस्त पक्षकारों को निदेश देगा कि,-

(i) न्यायालय के समक्ष संबंधित पक्षकारों के पूरे नाम, पहचान और पहचान करने के ब्यौरे से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि फाइल करे, जो कि मुहरबंद लिफाफे में और न्यायालय के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी; और

(ii) यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा के साथ कि सम्बद्ध पक्षकारों के पूरे नाम और पहचान गोपनीय रखे जायें, उस कार्यवाही से सम्बद्ध अन्य पक्षकारों को पूरे नाम, पहचान और पहचान करने के ब्यौरे से संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति की तामील करेगा।

(2) न्यायालय के समक्ष फाइल किये गये दस्तावेजों में न्यायालय विधिक कार्यवाहियों में अंतर्ग्रस्त संरक्षित व्यक्तियों के छद्मनामों का उपबंध ऐसी रीति से करेगा कि विधिक कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान करने के ब्यौरे गोपनीय रहें।

(3) न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी न्यायालय के समक्ष मुहरबंद दस्तावेजों को, न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष विधिक कार्यवाही की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर पहली तारीख पर प्रस्तुत करेगा।

(4) विधिक कार्यवाहियों में अंतर्ग्रस्त संरक्षित व्यक्तियों की पहचान और उनके पहचान करने के ब्यौरे, विधिक कार्यवाहियों के संबंध में, न्यायालय के बोर्ड पर मामले के सूचीबद्ध होने, अंतरिम आदेशों और अंतिम निर्णयों को सम्मिलित करते हुए न्यायालय द्वारा जनित सभी दस्तावेजों में छद्मनाम से प्रदर्शित किये जायेंगे।

(5) विधिक कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान करने के ब्यौरे, सहायकों और कर्मचारिवृन्द को सम्मिलित करते हुए किसी भी व्यक्ति या उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट नहीं किये जायेंगे।

अपवादः जहां पर न्याय के हित में संरक्षित व्यक्ति के नाम और पहचान को तृतीय पक्षकार को प्रकट करना आवश्यक हो, वहां यह सिर्फ न्यायालय के आदेश द्वारा ही अनुज्ञात किया जायेगा।

(6) पूर्व उल्लिखित विधिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी मामले का, इलैक्ट्रोनिक या अन्य किसी रूप में मुद्रण या प्रकाशन केवल तब ही विधिपूर्ण होगा, जब कि वह विधिक कार्यवाही में पक्षकारों की पहचान को छिपाना सुनिश्चित करके किया जाये।

(7) अपने समक्ष अधिनियम के अधीन किसी विधिक कार्यवाही में न्यायालय, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार डाटा संरक्षण उपायों का अनुपालन करेगा।

**[संख्या प.17(1)चिस्वा/2/2021]**

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

संजय कुमार,

**शासन उप सचिव।**

प्ररूप

(नियम 7(2) देखिए)

ओमबड्समैन को शिकायत करने के लिए प्ररूप

केवल कार्यालय उपयोग के लिये:

यूनीक शिकायत संख्यांक:.....

शिकायतकर्ता का नाम:..... तारीखः .....

फोन/मोबाइल नं:.....

ई-मेलः.....

फैक्सः.....

पत्र व्यवहार का पताः..... ..... ..... .....

.....

..... .....

घटना की दिनांक.....

घटना स्थल.....

घटना का विवरण.....

घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति/संस्थाः.....

.....

.....

शिकायतकर्ता के

हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

---

**Government Central Press, Jaipur.**